

डिफेंस एक्सपो स्थल पर बनेगा 10 हजार की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर

पांच फाइव स्टार होटल भी बनाएगा **आवास एवं विकास** परिषद

बोर्ड बैठक

जागरण संवाददाता • लखनऊ : वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो स्थल पर अब आवास एवं विकास परिषद 10 हजार की क्षमता का नया कन्वेंशन सेंटर बनाएगा। इसे करीब 2100 करोड़ रुपये से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पांच फाइव स्टार होटल भी बनेंगे। इनकी लागत करीब दो हजार करोड़ रुपये होगी। आवास एवं विकास परिषद की अयोध्या की योजनाओं में आ रहे पुराने मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा। बुधवार को अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में बुधवार को आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में कई निर्णय लिए गए।

अपर आवास आयुक्त और सचिव डा. नीरज शुक्ल ने बताया कि वृंदावन योजना में डिफेंस एक्सपो स्थल पर सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की डीपीआर तैयार हो गई है। इसे 32 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। आयोजन की जरूरत के अनुसार इसके आकार को छोटा-बड़ा किया जा सकेगा। कन्वेंशन सेंटर की जमीन की कीमत करीब एक हजार करोड़ होगी। वहीं, इसके निर्माण पर 1100 करोड़ खर्च होंगे। यहां तीन हैलीपैड और भव्य प्रदर्शनी स्थल भी होगा। मोहनलालगंज में

नई जेल रोड पर दो हजार प्रति वर्गफीट की दर से मिलेंगे भूखंड

नई जेल रोड पर एलडीए दो हजार रुपये प्रति वर्गफीट की दर से भूखंड बेचेगा। पहले चरण में लगभग पांच हजार भूखंडों का पंजीकरण खोला जाएगा। आवास विकास लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ के रिक्त प्लॉटों को सस्ती कीमतों पर बेचेगा। इसकी बुकिंग जल्द खुलेगी। लखनऊ में 4127 अब तक नहीं बिक सके हैं। इनको पांच से लेकर 30 प्रतिशत तक सस्ती दर पर बेचा जाएगा। आवास विकास के आवासीय के अतिरिक्त अन्य भूखंडों पर पांच वर्ष तक कोई अनिर्माण शुल्क नहीं लगेगा।

परिषद नई जेल रोड योजना पर टाउनशिप को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। जमीन अधिग्रहण का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। परिषद ने पहले 250 एकड़ क्षेत्रफल में टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन अब परिषद को 50 एकड़ जमीन और मिल गई है। यह टाउनशिप अब 300 एकड़ की होगी। अगले छह महीने में योजना को परिषद लांच कर देगा। सचिव डा. नीरज शुक्ला ने बताया कि पंजीकरण के समय 137 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड सृजित किए जाएंगे। योजना के लिए धारा-28 का गजट प्रकाशन कराया जा चुका है। योजना के लिए आच्छादित काश्तकारों, भूस्वामियों को आपसी

छठे वर्ष में पांच प्रतिशत, सातवें में 10 प्रतिशत, आठवें में 15 प्रतिशत और 10 वर्ष के बाद 40 प्रतिशत अनिर्माण शुल्क देना होगा। आवास विकास के अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र यादव, समर उपाध्याय, अजय कुमार मित्तल, प्रमोद कुमार सिंह को अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नत होंगे। परिषद के कर्मचारियों व पेंशनर्स को एक जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिलेगा। अवैध निर्माण के मामले में सेवानिवृत्त इंजीनियर महेश कुमार के खिलाफ जांच होगी।

समझौते एवं अनिवार्य अभिनिर्णय के साथ-साथ लैंड पूलिंग स्कीम का भी विकल्प दिया गया है।

ये भी हुए निर्णय : अयोध्या में आवास विकास परिषद की नई योजनाओं के लिए अब पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ा जाएगा। मंदिर स्थलों को भी योजना में समायोजित किया जाएगा। अयोध्या व वाराणसी में परिषद अपनी नई टाउनशिप के लिए पंजीकरण शुरू करेगा। आवास विकास में 168 पट्टों पर भर्ती होगी। रिक्त प्लॉटों के लिए विशेष पंजीकरण शुरू किया जाएगा। प्लॉटों को बेचने के लिए परिषद मार्केटिंग सेल का गठन करेगा। अयोध्या में 1800 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित कर रहा है।